बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक 5124654 / पटना, दिनांक 29/01/26
ग्रा0वि0-6-बजट/05-05/2025

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2025-26 में मांग संख्या-42 के अंतर्गत "मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना" के क्रियान्वयन हेतु बिहार आकस्मिकता निधि के माध्यम से पूर्व में आवंटित किये गये राशि रु0 15000.00 करोड़ (पन्द्रह हजार करोड़) के अतिरिक्त द्वितीय अनुपूरक आगणन के उपरान्त प्राप्त राशि में से राशि रु0 2500.00 करोड़ (दो हजार पांच सौ करोड़) की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में ।

आदेश :- स्वीकृत ।

बिहार सरकार के द्वारा राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से विभागीय संकल्प सं0-4532790 दिनांक-29.08.2025 द्वारा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को अपनी पसंद का रोजगार हेतु आर्थिक सहायता के रूप में प्रथम किस्त की राशि रु0 10 हजार दी जायेगी । महिलाओं द्वारा रोजगार शुरू करने के बाद शीघ्र ही आकलन करते हुए नियमानुसार 2 लाख रूपये तक की अतिरिक्त सहायता आवश्यकतानुसार दी जा सकेगी । इस योजना का क्रियान्वयन बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) के द्वारा किया जायेगा। जीविका मुख्यालय द्वारा डी0बी0टी0 (आधार आधारित) के माध्यम से राशि लाभुकों के आधार से संबद्ध बैंक खाते में हस्तान्तरित की जायेगी ।

2. जीविका द्वारा लक्षित परिवारों को उद्यम के बेहतर संचालन एवं तकनीकी तथा प्रबंधकीय कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा । इसके साथ ही परिवारों को उद्यम चयन एवं संचालन हेतु सूक्ष्म कार्य योजना को तैयार करने के लिए भी प्रशिक्षित किया जायेगा । जीविका द्वारा तकनीकी सहायता एवं अभिसरण के उद्देश्य से संगत विभागों एवं संस्थाओं के साथ साझेदारी की जायेगी। राज्य के गाँवों से लेकर शहर तक महिलाओं के उत्पादों की बिक्री के लिए हाट बाजार विकसित किये जायेंगे ।

3. वित्तीय वर्ष 2025-26 में मांग सं0-42 के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण से संबंधित बजट शीर्ष मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य शीर्ष-02 समाज कल्याण लघुशीर्ष-103-महिला कल्याण, उप शीर्ष-0132-महिला सशक्तिकरण, विषय शीर्ष-3106-सहायक अनुदान-गैर वेतन, विपत्र कोड 42-2235021030132 अंतर्गत राशि रु0 15050.00 करोड़ का संशोधित बजट उपबंध है।

द्वितीय अनुपूरक आगणन के रूप में राशि रू0 6000.00 करोड़ (छह हजार करोड) की प्राप्ति के फलस्वरूप कुल संशोधित बजट उपबंध की राशि रू0 21050.00 करोड़ (इक्कीस हजार पचास करोड) है।

4. विभागीय पत्रांक-4558322 दिनांक-04.09.2025 द्वारा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में ग्रामीण विकास विभाग की मांग सं0-42 के अंतर्गत बिहार आकस्मिकता निधि की अधिसीमा में वृद्धि होने की स्थिति में राशि रु0 20000.00 करोड़ (बीस हजार करोड़) की अधिसीमा तक बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम एवं वित्त विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार राशि उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

5. इसी क्रम में बिहार आकस्मिकता निधि के माध्यम से प्राप्त कुल राशि रू0 15000.00 करोड़ (पन्द्रह हजार करोड़) को पूर्व में निम्नांकित विभागीय आवंटनादेश सं0 एवं दिनांक द्वारा जीविका को आवंटित किया गया है:-

(राशि रु0 करोड़ में)

क्र.सं.	आवंटनादेश सं0/दिनांक	आवंटित राशि
1	4583996/10.09.2025	5000.00
2	4616762/18.09.2025	2000.00
3	4642066/23.09.2025	3000.00
4	4655675/25.09.2025	3000.00
5	4680851/06.10.2025	1000.00
6	4772542/31.10.2025	1000.00

उक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त वर्तमान में राशि रु0 2500.00 करोड़ (दो हजार पांच सौ करोड़) का आवंटन किया जाना है ।

6. उक्त के आलोक में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के क्रियान्वयन हेतु पूर्व में विमुक्त की गयी कुल राशि रु0 15000.00 करोड़ के अतिरिक्त वर्तमान में द्वितीय अनुपूरक आगणन के फलस्वरूप प्राप्त राशि रू0 6000.00 करोड में से राशि रु0 2500.00 करोड़ (दो हजार पांच सौ करोड़) की निम्नवत् विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

(राशि करोड़ रु0 में)

क्र0सं0	विपत्र कोड (विषय शीर्ष सहित)	स्वीकृत राशि
1	2	3
1	मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य शीर्ष-02 समाज कल्याण लघु शीर्ष-103-महिला कल्याण, उप शीर्ष-0132-महिला सशक्तिकरण, विषय शीर्ष-3106- सहायक अनुदान-गैर वेतन, विपत्र कोड 42-2235021030132	2500.00
	कुल :-	2500.00 करोड (दो हजार पांच सौ करोड़)

7. वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना अंतर्गत कुल स्वीकृत राशि रु0 2500.00 करोड़ (दो हजार पांच सौ करोड़) की निकासी विभागीय मांग संख्या-42 अंतर्गत उपरोक्त सारणी के कॉलम-2 में अंकित बजट शीर्षो के अंतर्गत पूर्व प्राप्ति रसीद के आधार पर की जायेगी ।

8. (i) स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना होगें तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी ।

(ii) अवर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना स्वीकृत राशि की निकासी कर बराबर-बराबर राशि जीविका के पत्रांक BRLPS/Accts./670/25/2309 दिनांक-09.09.2025 द्वारा उपलब्ध

कराये गये 02 (दो) बैंक खातों में क्रमश: State Bank of India अंतर्गत BRLPS MUKHYAMANTRI MAHILA ROJGAR YOJANA, खाता सं0-44451668295, IFSC Code-SBIN0018815, नियोजन भवन, बेली रोड, पटना एवं HDFC Bank अंतर्गत BRLPS MUKHYAMANTRI MAHILA ROJGAR YOJANA, खाता सं0-50100780136567, IFSC Code-HDFC0001649, राजा बाजार, बेली रोड, पटना में जमा कर देंगे। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति-सह-राज्य मिशन निदेशक, विद्युत भवन, पटना राशि की निकासी कर व्यय करेंगे तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार, बिहार, पटना एवं इस विभाग को उपलब्ध कराऐंगे।

9. मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना अंतर्गत आवंटित राशि का वैधानिक अंकेक्षण एवं महालेखाकार अंकेक्षण ससमय महालेखाकार, बिहार से कराना सुनिश्चित किया जायेगा ।

10. वित्त विभाग के पत्र सं0-7355 वि.(टि.) दिनांक-05.10.07 में निहित निदेश के आलोक में स्वीकृत राशि की कोषागार से निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है ।

11. निदेशक, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका), पटना के मांग पत्र पत्रांक-BRLPS/Accts/425/16-Vol-V/3878 दिनांक-12.01.2026 एवं दिनांक-15.01.2026 को प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में विभाग स्तर पर बजट से संबंधित समीक्षात्मक बैठक में लिए गये निर्णय के आलोक में नियमानुसार व्यय हेतु स्वीकृति दी जा रही है।

12. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561 दिनांक-17.04.1998 में निहित निदेश के आलोक में राशि व्यय की जायेगी ।

13. वित्त विभाग के संकल्प सं0-12888 दिनांक-03.12.2024 के आलोक में स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है ।

14. वित्त विभाग के संकल्प सं0-12888 दिनांक-03.12.2024 के आलोक में योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं देय सहायक अनुदान विमुक्ति के संबंध में सक्षम प्राधिकार (प्रशासी विभाग)/माननीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।

विश्वासभाजन

29/1/26

(रवि कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 5124654 पटना, दिनांक 29/01/26

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन स्थित सचिवालय कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

29/1/26

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 5124654 पटना, दिनांक 29/01/26

प्रतिलिपि- वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRLPS-सह-राज्य मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, विद्युत भवन, एनेक्सी-2, बेली रोड, पटना/ अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन

पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/ लेखा शाखा/ आई0टी0 मैनेजर को (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

29/1/26
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 5124654 पटना, दिनांक 29/01/26

प्रतिलिपि- आयुक्त स्वरोजगार, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/ आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/ विभागीय बजट शाखा (प्रशाखा-10) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

29/1/26
सरकार के संयुक्त सचिव